सं० 12035/7/2018–नीति-II

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

संपदा निदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

दिनांक: 18 जनवरी, 2021

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय**:- सचिव पूल में टाइप-VII आवासों के द्विभाजन के संबंध में।

संपदा निदेशालय के दिनांक 28.11.2014 के का. ज्ञा. सं० 12035/16/2010-नीति.II के अनुसार 70 टाइप-VII आवासों को एसजी पूल में रखा गया था, जिसमें से 60 आवास न्यू मोती बाग तथा 10 आवास न्यू मोती बाग को छोड़कर अन्य इलाकें में थे।

2. एसजी पूल में आवासों के आबंटन हेतु सुविधा उन अधिकारियों को विस्तारित की गई जो सचिव समतुल्य रूप में पैनल में थे तथा दिनांक 07.05.2018 के समसंख्यक का. ज्ञा. द्वारा एसीसी के अनुमोदन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सचिव की श्रेणी एवं वेतन में तैनात थे।

3. अब यह पाया गया है कि अनेक सचिवों को टाइप-VII आवास हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सचिवों द्वारा सामना की जारी समस्या का समाधान करने के लिए एसजी पूल में मौजूदा आवासों का पुन: आबंटन कर टाइप-VII आवासों की कुछ संख्या को विशेष तौर पर भारत सरकार के सचिवों के लिए रखने की आवश्यकता महसूस की गई।

4. तद्नुसार, सक्षम अधिकारी द्वारा एसजी पूल के मौजूदा दिशानिर्देशों की निम्नानुसार समीक्षा करने का निर्णय किया गया है:-

(i) भारत सरकार के सचिवों हेतु एसजी पूल को न्यू मोती बाग में मौजूदा 60 इकाइयों से बढ़ाकर 65 इकाइयां करना तथा न्यू मोती बाग को छोड़कर अन्य इलाकें में केवल सचिवों के लिए 10 आवास इकाइयाँ करना।

(ii) दिनांक 07.05.2018 के का. ज्ञा. को वापस लेना, जिसमें मौजूदा समय में सचिव समतुल्य अधिकारियों द्वारा एसजी पूल में आवेदन देने का प्रावधान है। मौजूदा अधिभोगी खाली होने तक रहेंगे।

(iii) सचिव समतुल्य अधिकारी अलग पूल में बिड करेंगे तथा उनके लिए अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

(iv) कार्यात्मक आवश्यकता, धारित पद की महत्ता/संवेदनशीलता, पात्र उच्च गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आवास जरूरतों की आवश्यकता के मद्देनजर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य पूल आवासों(टाइप VII तथा VIII) के आबंटन की मौजूदा प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।

5. इसे आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(एम. सी. सोनोवाल)

संपदा उप निदेशक (नीति)

फोन नं० : 23062505

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. संपदा निदेशालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।

सूचनार्थ प्रति: -

1. माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (एल एंड ई) के निजी सचिव।
4. संपदा निदेशक-I/संपदा निदेशक-II के निजी सचिव।
5. निदेशक(एन आई सी) को प्रोग्राम में चेक्स लगाकर डीई-2 फार्म/प्रोफाइल में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु।
6. उपनिदेशक (कंप्यूटर) को इस का. ज्ञा. को संपदा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
7. गार्ड फाइल/प्रेषण फोल्डर-2021

(एम. सी. सोनोवाल)
संपदा उप निदेशक (नीति)